2004:CGHC:33

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका सं. 194/2004

अमित कुमार सिंह उम्र लगभग 33 वर्ष,
पिता श्री प्रकाश सिंह निवासी ए–1
शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) ———————————————— याचिकाकर्ता

बनाम्

1- यूनियन बैंक ऑफ इंड़िया, मुख्य शाखा
15/154, जवाहर नगर, रायपुर (छ.ग.)

2- यूनियन बैंक ऑफ इंड़िया, क्षेत्रीय कार्यालय,
महावीर गौशाला काम्प्लेक्स, के.के. रोड़, मौदहापारा
रायपुर (छ.ग.)

3- वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण,
मकान नं. 797–11, शांति कुंज, साउथ सिविल लाइन,
जबलपुर (म.प्र.)

4- सत्य प्रकाश झुनझुनवाला, उम्र लगभग 40 वर्ष
निवासी रायपुर (छ.ग.) हा.मु. श्री रानीसती ट्रडर्स,
भैसथान, रायपुर (छ.ग.) ———————————————— प्रतिवादीगण्

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उपयुक्त प्रकार की रिट याचिका जैसे की परमादेश/उत्प्रेषण/निषेध/निर्देशात्मक/आदेश अथवा उसी प्रकृति के अन्य आदेशों के निर्गमन के लिए

2004:CGHC:33

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका सं. 194/2004

अमित कुमार सिंह

विरुद्ध/बनाम्

यूनियन बैंक ऑफ इंड़िया,एवं अन्य

आदेश हेतु सूचीबद्ध दिनांक : 27 अप्रैल, 2004

सही/–

फखरुद्दीन

(न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2004:CGHC:33

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका सं. 194/2004

अमित कुमार सिंह

विरुद्ध/बनाम्

यूनियन बैंक ऑफ इंड़िया,एवं अन्य

उपस्थित :

श्री भीष्म किंगर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री प्रशांत मिश्रा, प्रतिवादी कमांक 1 से 3 के अधिवक्ता

श्री रुप नाइक, प्रतिवादी कमांक 4 के अधिवक्ता

श्री विवेक शर्मा, हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता

:: आदेश ::

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति फखरुद्दीन के अनुसार

सुना गया

याचिकाकर्ता के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत यह रिट याचिका प्रस्तुत किया गया है याचिकाकर्ता, प्रतिवादी कमांक 03 ऋण वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर के द्वारा दिनांक 28/08/2003 एवं 15/10/2003 में वाद कमांक 131/2000 में पारित आदेश से व्यथित होकर यह याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें याचिकाकर्ता के आपत्ति को अस्वीकार करते हुए मकान की विक्रय का आदेश पारित किया गया था।

2/ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 15/05/2003 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी कमांक 03 ऋण वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष वाद कमांक O.A Ex 131/2000 (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम् मेसर्स रायपुर लगेज प्राईवेट लिमिटेड) में एक लिखित आपत्ति प्रस्तुत किया था, परंतु दिनांक 28/08/2003 को उक्त् आपत्ति को बिना किसी विधिक कारण के उल्लेख के बिना अस्वीकार कर दिया गया इसके पश्चात् दिनांक 15/10/2003 को प्रतिवादी कमांक 03 द्वारा उक्त् मकान को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से ऋण की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्देश/आदेश जारी किया गया, जिसके संबंध में दिनांक 10/12/2003 को एक नीलामी की सूचना हिंदी दैनिक, ''दैनिक भास्कर'' रायपुर में प्रकाशित की गई तत्पश्चात पुनः दिनांक 08/01/2004 को एक अन्य सूचना ''नवभारत'' रायपुर में प्रकाशित की गई, जिसका प्रतिवाद/विरोध एवं खंडन याचिकाकर्ता द्वारा ''नवभारत'' में दिनांक 10 एवं 12 जनवरी 2004 को किया गया।

2004:CGHC:33

3/ याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री किंगर ने यह प्रस्तुत किया कि गृह संपत्ति क्रमांक A-1, शैलेन्द्र नगर रायपुर स्थित संपत्ति को प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 द्वारा दिनांक 12/01/2004 को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय किया गया जिसे प्रतिवादी क्रमांक 04 श्री सत्य प्रकाश झुनझुनवाला ने क्रय किया। उक्त् संपत्ति को मेसर्स रायपुर लगेज प्रा. लि. से देय ऋणों की वसूली हेतु विक्रय किया गया याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि उक्त् विक्रय अवैधानिक है क्योंकि यह विक्रय विधि के प्रतिकूल एवं अवैध प्रक्रिया में हुआ है। उन्होनें आगे यह भी प्रस्तुत किया की दिनांक 15/05/2002 को याचिककर्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 03 ऋण वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष वाद क्रमांक O.A Ex 131/2000 (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम् मेसर्स रायपुर लगेज प्राईवेट लिमिटेड) में एक लिखित आपत्ति प्रस्तुत किया था लिखित आपत्ति में यह कहा गया कि आपत्तिकर्ता ने उपर्युक्त गृह संपत्ति (अचल संपत्ति) निम्नलिखित व्यक्तियों से क्रय किया था **1.** श्री मेहंदी मोहम्मद पिता श्री दीदार अली फरिश्ता **2**. श्रीमती असराफ बानो पति श्री मेहंदी मोहम्मद फरिश्ता **3.** श्री मुराद पिता श्री मेहंदी मोहम्मद फरिश्ता **4.** श्री मलिक मोहम्मद पिता श्री मेहंदी मोहम्मद फरिश्ता यह संपत्ति उन्होंने (संयुक्त् रुप से) दिनांक 21/12/1993 को 8,10,500/–(आठ लाख दस हजार पांच सौ रुपये) में क्रय किया था तभी से आक्षेपकर्ता/आपत्तिकर्ता अपने परिवार के सदस्यों सहित शांतिपूर्वक निवास कर रहा है तथा उक्त् संपत्ति पर वैध स्वत्व, कब्जा एवं हित उनके पास है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 11/05/2002 को आक्षेपकर्ता/आपत्तिकर्ता ने अपने मकान की दीवाल पर कुर्की आदेश चिपका पाया जिसमें उल्लेख था कि आपत्तिकर्ता का मकान उपर्युक्त निष्पादन में कुर्क किया जा रहा है तथा उक्त् आदेश निम्न व्यक्तियों को संपत्ति के अंतरण अथवा उसे विक्रय करने से प्रतिषिद्ध एवं अवरुद्ध करता है। **1.** श्री मेहंदी मोहम्मद पिता श्री दीदार अली फरिश्ता **2**. श्रीमती असराफ बानो पति श्री मेहंदी मोहम्मद फरिश्ता **3.** श्री मुराद पिता श्री मेहंदी मोहम्मद फरिश्ता **4.** श्री मलिक मोहम्मद पिता श्री मेहंदी मोहम्मद फरिश्ता को उक्त् संपत्ति को किसी भी रुप में किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण अथवा भारारोपण करने से रोका गया याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रमाण–पत्र धारी ऋणी उपर्युक्त संपत्ति के स्वामी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उक्त संपत्ति आपत्तिकर्ता के पक्ष में 8,10,500/–(आठ लाख दस हजार पांच सौ रुपये) की वैध प्रतिफल राशि में विक्रय कर दी है तथा उक्त मकान का शांतिपूर्वक और रिक्त कब्जा दिनांक 21/12/1993 को आपत्तिकर्ता को सौंप दिया गया था। यह संपत्ति आपत्तिकर्ता अमित कुमार सिंह द्वारा क्रय की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4/ न्यायालय ने आपत्ति पर विचार किया बैंक द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया तथा आपत्ति आवेदन में किये गये तर्को को अस्वीकार कर दिया गया। यह तर्क किया गया कि भले ही आपत्तिकर्ता उक्त् भवन पर कब्जे में है परंतु उक्त् भवन बैंक के पक्ष में दिनांक 28/03/2002 को निष्पादित मुख्तारनामा खास के माध्यम से बंधक रखा गया है और इस प्रकार, बैंक को उक्त् संपत्ति पर प्रथम अधिकार प्राप्त है और वह बकाया ऋणों की वसूली के लिए उक्त् संपत्ति की विक्रय की कार्यवाही कर सकता है। दिनांक 28/08/2003 को न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता को बार–बार स्मरण पत्र बैंक के अधिवक्ता के द्वारा प्रेषित किये जाने के उपरांत भी, आपत्तिकर्ता कि ओर से कोई भी व्यक्ति आपत्ति पर बहस करने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। तथा यह सिद्ध करने का

2004:CGHC:33

भार/दायित्व आपत्तिकर्ता पर है कि उसके पास उक्त वादग्रस्त संपत्ति का वास्तविक एवं आत्यंतिक हक/पूर्ण स्वत्वाधिकार है। न्यायालय ने यह भी पाया कि यद्यपि आपत्तिकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि विक्रय मूल्य प्राप्ति की रसीद तथा दिनांक 12/12/1993 को निष्पादित विक्रय–विलेख का उल्लेख किया गया है जिसे परिशिष्ठ O-1 के रुप में चिन्हित किया गया है परंतु ऐसा कोई भी दस्तावेज आपत्तिकर्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा आपत्तिकर्ता की आपत्तियाँ एवं कथन किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से संपुष्ट नहीं किए गए है। अतः, बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं तर्क को अस्वीकार करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

5/ बैंक के अधिवक्ता उपस्थित हुए और नीलामी हेतु प्रार्थना की, संबंधित प्रपत्र आदि प्रस्तुत किए। न्यायालय ने समस्त तथ्यों एवं पहलुओं पर विचार करने के उपरांत नीलामी का आदेश/निर्देश प्रदान किया। उक्त निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने सिविल वाद क्रमांक 5–अ/2002 माननीय चतुर्थ अतिरिक्त् जिला न्यायाधीश्, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें विनिर्दिष्ट पालन, घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई। दिनांक 28/08/2003 के आदेश को किस आधार पर चुनौती दी गई है वह लिखित कथन में उल्लेखित है याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत निम्नानुसार है :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि कृपया एक रिट परमादेश/उत्प्रेषण/निषेध/निर्देशात्मक/आदेश अथवा कोई अन्य उपर्युक्त रिट जारी कर दिनांक 28/08/2003 तथा दिनांक 15/10/2003 (अनुलग्नक P/7) के दोनो आपत्तिजनक आदेशों को व्यय सहित निरस्त एवं रद्द करने की कृपा करें तथा प्रतिवादीगण को इस बात से प्रतिबंधित किया जाये की वे याचिकाकर्ताओं से संबंधित उक्त् भवन संपत्ति को किसी भी प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण अथवा पुनः प्राप्त करने का प्रयास न करें एवं ऐसी कोई भी कार्यवाही न करे जो याचिकाकर्ता के हित, स्वामित्व एवं कब्जे के अधिकार के विरुद्ध या हानिकारक हो।"

6/ प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **"पंजाब नेशनल बैंक बनाम् ओ.सी कृष्णन (2001 (6) एस.सी.सी 569)"** में स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका घोषणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधन ऋण की वसूली अधिनियम 1993 की धारा 20 के अधीन अपील का विकल्प उपलब्ध है। यह भी तर्क किया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधन ऋण की वसूली अधिनियम 1993 कि योजना के अनुसार किसी अन्य न्यायालय को ना ही दायित्व निर्धारित करने का अधिकार है और ना ही प्रमाण–पत्र के निष्पादन द्वारा राशि की देनदारी और वसूली के विवादों का निर्णय देने का क्षेत्राधिकार/अधिकार प्राप्त है क्योंकि यह अधिकार विशेष रुप से केवल ऋण वसूली अधिकरण और वसूली अधिकारी के अधीन आता है इसी कारणवश् वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है। साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं प्रतिवाद जिला न्यायाधीश् रायपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद

2004:CGHC:33

क्रमांक 5–ए/2002 दायर किया गया है जो की अभी विचाराधीन हैं। अतः इस आधार पर भी वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है।

7/ प्रतिवादी क्रमांक 4 कि ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रारंभ में ही उसने संपत्ति अर्थात् मकान क्रमांक A–1, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) को नीलामी में क्रय किया था जो यूनियन बैंक ऑफ इंड़िया एस.एस.आई. शाखा रायपुर द्वारा नीलाम की गई थी यह क्रय कार्य दिनांक 15/11/2003 को जारी नीलामी सूचना के अनुपालन में किया गया था, जिसे वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर द्वारा जारी किया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 04 ने संपूर्ण विक्रय मूल्य अर्थात् 30,26,000/– की राशि को जमा कर दिया है, और विक्रय की पुष्टि के पश्चात् दिनांक 17/02/2004 को प्रत्युत्तरदाता ने प्रतिवादी के पक्ष में विक्रय प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया है।

8/ प्रतिवादी क्रमांक 04 के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कि थी, किंतु अपने दावे के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उक्त् आपत्ति को दिनांक 28/08/2003 को अस्वीकार कर दिया गया। दिनांक 15/10/2003 को न्यायालय ने पुनः आदेश पारित किया जिसमें उपस्थित पक्षकारों को सुनने के पश्चात् निर्णय लिया गया दोनो अवसरों पर याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9/ वसूली अधिकारी द्वारा दिनांक 28/08/2003 को पारित आदेश प्रासंगिक है तथा उनका आशय निम्नानुसार है :–

> "श्री अमित कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता श्री मनोज सांघी के माध्यम से इस अधिकरण के समक्ष एक आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त आवेदन में अन्य बातो के साथ यह निवेदन किया गया है कि संपत्ति मकान क्रमांक A-1, शैलेन्द्र नगर रायपुर जिसे इस अधिकरण द्वारा कुर्क किया गया है, वह संपत्ति उन्होंने दिनांक 21/12/1993 को क्रय की थी और तब से वह उक्त् संपत्ति के पूर्णस्वामी है तथा संपत्ति पर पूर्णस्वामित्व रखते है तथा उन्होंने उक्त संपत्ति को ऋणदाताओं द्वारा बैंक के पक्ष में किये गये कथित बंधक से पूर्व क्रय किया था जो कि प्रमाण–पत्र के अनुसार उल्लेखित है। उन्होंने यह भी प्रार्थना किया है कि उक्त संपत्ति मकान की कुर्की हटाई जाये तथा एक वास्तविक क्रेता होने के नाते आपत्तिकर्ता के विरुद्ध आगे की कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किया जाये।
>
> CH बैंक ने अपने जवाबदावा दाखिल कर आपत्तिकर्ताओं के कथनों का खंडन किया है। बैंक द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि भले ही आपत्तिकर्ता के पास संपत्ति का कब्जा हो तथापि वह संपत्ति बैंक के पास बंधक है और दिनांक 28/03/2002 को निष्पादित मुख्तारनामा खास के माध्यम से बंधक रखा गया है जिसमें CH बैंक को उस संपत्ति

2004:CGHC:33

पर प्रथम भार प्राप्त है और वह बकाया देयों की वसूली हेतु संपत्ति को विक्रय कर सकता है।

CH बैंक की ओर से प्रस्तुत तर्क सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह उल्लेख करना सुसंगत है कि बार–बार स्मरण् पत्र के पश्चात् भी तथा बैंक के अधिवक्ता के द्वारा भी सूचना दिये जाने के उपरांत भी, आपत्तिकर्ता कि ओर से कोई भी व्यक्ति आपत्ति पर बहस करने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा यह सिद्ध करने का भार आपत्तिकर्ता पर है कि उसके पास उक्त वादग्रस्त संपत्ति का वास्तविक एवं आत्यंतिक हक/पूर्ण स्वत्वाधिकार है। अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि आपत्तिकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि विक्रय मूल्य प्राप्ति की रसीद तथा दिनांक 12/12/1993 के विक्रय–विलेख जिसे परिशिष्ठ O-1 के रुप में चिन्हित किया गया है किंतु ऐसा कोई भी दस्तावेज आपत्तिकर्ता द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्तियाँ किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा संपुष्ट नहीं है। अतः इस बात का कोई कारण नहीं है कि CH बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं तर्क को अविश्वसनीय माना जाए। तद्नुसार मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

परिणामस्वरुप आपत्ति आवेदन पर विचार किया गया परंतु उसमें कोई गुणानुगुण नहीं पाया गया एवं उसे तदानुसार निरस्त किया जाता है। अतः CH बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह संपत्ति की नीलामी हेतु आवश्यक कदम उठाए

प्रकरण दिनांक 15/10/2003 को सूचीबद्ध किया गया था। अधिकरण द्वारा पारित आदेश सुसंगत है एवं नीचे उद्धृत किया गया है :

> ''आवेदक बैंक द्वारा श्री अशोक बांके अधिवक्ता।
>
> श्री अशोक बांके अधिवक्ता ने प्रकरण में नीलामी की प्रार्थना की तथा इस हेतु नीलामी से संबंधित फार्म प्रस्तुत किए। आवेदक अधिवक्ता ने प्रकरण में खर्च रिपोर्ट/मूल्यांकन रिपोर्ट पूर्व दिनांक को प्रस्तुत कर दी है।
>
> प्रकरण में कुर्की की कार्यवाही दिनांक 13/05/2002 को श्री सी.पी.शर्मा नोटरी द्वारा कराई जा चुकी है चुंकि निर्णित ऋणी को प्रकरण में डिक्रीधारी बैंक के ऋण की अदायगी हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा चुके है उन्होंने इस हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

2004:CGHC:33

अतः आवेदक बैंक का आवेदन/निवेदन स्वीकार किया जाता है प्रकरण नीलामी हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण में नीलामी मूल्य क्रमशः 4,62,000 एवं 22,59,000 तय किया जाता है।

विक्रय घोषणा पत्र जारी हो।

प्रकरण दिनांक 15–01–2004

9/ याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अधिकरण के पास अधिकारिता नहीं है उन्होंने इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंबन लिया है जो कि **"रनछोड़दास छगनलाल विरुद्ध देवाजी सुपदु डोरिक एवं अन्य (AIR 1977 SC 1517)** में पारित हुआ था यह प्रकरण संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित है। जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि –

> ''इस अपील में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी/उत्तरदाता अपीलार्थी के साथ किए गए अनुबंध को निष्पादित करने हेतु तत्पर एवं इच्छुक था या नहीं अपीलकर्ता का मामला यह है कि संपत्ति की बिक्री हेतु एक मौखिक समझौता हुआ था जो की लगभग 23 एकड़ कृषि भूमि का था जिसकी कीमत 17,000/–निर्धारित की गई थी, प्रतिवादी ने समय–समय पर 12,000/–की राशि अपीलकर्ता/अपीलार्थी को अदा की प्रतिवादी/उत्तरदाता उक्त् संपत्ति के कब्जे में भी था अपीलकर्ता/अपीलार्थी ने प्रतिवादी/उत्तरदाता को संपूर्ण क्रय मूल्य अदा करने हेतु कहा किंतु प्रतिवादी/उत्तरदाता ऐसा करने में विफल रहा फलतः वादी ने प्रतिवादी द्वारा समझौते के पालन से इंकार करने पर वाद दायर किया।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे उन्होंने **इंडस्ट्रियल क्रेड़िट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंड़िया लिमिटेड बनाम् ग्राफिको इंडस्ट्रिज लिमिटेड एवं अन्य 1999 (4) SCC 710** के मामले में दिये गये निर्णय का भी अवलंबन किया वह मामला इस प्रकार था कि आई.सी.आई.सी.आई ने अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण कमांक 1 एवं 2 के विरुद्ध संयुक्ततः एवं पृथक्तः रुप से कुल 36.5 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया था उसी दिन अधिकरण् ने निषेधाज्ञा पारित किया तथा प्रतिवादीगण् आई.सी.आई.सी.आई के पक्ष में आड़मान गई संपत्तियों को स्थानांतरित एवं विक्रय करने से प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही अधिकरण् ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो प्रतिवादीगण द्वारा आई.सी.आई.सी.आई के पक्ष में आड़मान एवं बंधक की गई संपत्तियों की सूची तैयार करेगा। उसी आदेश के तहत अधिकरण ने प्रतिवादीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि वे 15 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करें कि क्यों न अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाए। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण् ली तथा अधिकरण के द्वारा पारित एक–पक्षीय आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

10/ माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित कि अधिनियम के अंतर्गत गठित अधिकरण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर सके। बैक तथा

2004:CGHC:33

वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण की वसूली हेतु, जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (g) के अंतर्गत परिभाषित है प्रस्तुत किए गए आवेदन पर, प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा अथवा स्थगन आदेश पारित किया जा सकता है, अधिनियम की धारा 22 यह कहती है कि अधिकरण् सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अधिकरण के पास सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा। बल्कि, अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता की सीमाओं से आगे जाकर कार्य कर सकता है और उसपर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करें। इसका अभिप्राय यह है कि अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अधिकरण् जब किसी धन वसूली संबंधी वाद की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है इसके अतिरिक्त जब अधिकरण को निषेधाज्ञा एवं स्थगन के रुप में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति दी जाती है तो उसमें निहित शक्ति होती है कि वह उक्त आदेश एकपक्षीय रुप से भी पारित कर सके यदि वह न्यायहित में हो और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार हो। इस संबंध में **मोरगन स्टेनली म्यूचवल फंड बनाम् कार्तिक दास (1994) 4 SCC 225** में उल्लेखनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के आादेश को रद्द किए जाने के निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं किया। परंतु यह केवल समय बीत जाने तथा उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीकरण में कार्यवाही की स्थिति की जानकारी न होने के कारण हुआ। यह आवेदन आई.सी.आई.सी.आई द्वारा अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत दायर किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी कहा की यदि मामला अभी भी अधिकरण् के समक्ष लंबित है तो आई.सी.आई.सी.आई के प्रार्थना पर अधिकरण अंतरित आदेश पारित कर सकती है। उक्त निर्णय कि पैरा 16 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यद्यपि हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है तथापि हम उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत् उक्त निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **इलाहाबाद बैंक बनाम् केनरा बैंक AIR 2000 SCW 1347** में यह अवधारित किया कि :

> ''धारा 17 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन की अवस्था तथा धारा 25 के अंतर्गत प्रमाण पत्र के निष्पादन की प्रक्रिया आदि के संदर्भ में, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधन ऋण की वसूली अधिनियम 1993 के प्रावधान अधिकरण तथा वसूली अधिकारी को बैंको एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों के संबंध में विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करते है।''

11/ जहाँ तक वर्तमान वाद का संबंध है (**मेसर्स कोवा स्पीनींग लि. एवं अन्य बनाम् ऋण वसूली अधिकरण् एवं अन्य AIR 2004 MP 1)** (पूर्ण न्यायपीठ) में यह निर्णय दिया गया कि किसी भी आदेश या ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में की जा सकती है, जो किसी पक्षकार के अधिकारों एवं दायित्वों को पर्याप्त रुप से प्रभावित करता हो, और यह केवल अंतिम आदेश तक ही सीमित नहीं है। इससके अतिरिक्त यह भी प्रतिपादित किया गया कि भारत के

2004:CGHC:33

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन, कानूनी उपाय प्रदान किये गये है जिसके अंतर्गत अपील की जा सकती है।

12/ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधन ऋण की वसूली अधिनियम 1993 का अध्याय lll, न्यायाधिकरणों का क्षेत्राधिकार, शक्तियों एवं प्राधिकार से संबंधित है अधिनियम की धारा 17 इस प्रकार है :

17. **अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार**

(1) कोई अधिकरण, नियत दिन से ही बैंको और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली के लिए ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आवेदन ग्रहण करने और उनका विनिश्चय करने की अधिकारिता, शक्तियाँ, एवं प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

अधिनियम की धारा 17–क अपील अधिकरण् के अध्यक्ष की शक्ति

किसी अपील अधिकरण का अध्यक्ष अपनी अधिकारिता के अधीन अधिकरणों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की साधारण शक्ति का प्रयोग करेगा जिसके अंतर्गत कार्य को आंकने तथा पीठासीन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को लेखबद्ध करने की शक्ति सम्मिलित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 20 अपील अधिकरण् को अपील

(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकरण द्वारा किए गए या किए गए समझे गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा जिसको उस विषय में अधिकारिता है।

धारा 21 अपील फाईल किए जाने पर शोध्य ऋण की रकम का निक्षेप किया जाना

जहां कोई अपील ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिससे ऋण की रकम किसी बैंक या वित्तीय संस्थान को अथवा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के किसी संघ को शोध्य है वहां ऐसी अपील, अपील अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण की जाएगी जब ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा इस प्रकार शोध्य ऋण की रकम का जो धारा 19 के अधीन अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, पचहत्तर प्रतिशत अपील अधिकरण के पास निक्षिप्त कर देता है।

परंतु अपील अधिकरण, ऐसे कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे, इस धारा के अधीन निक्षिप्त की जाने वाली रकम का अधित्यजन कर सकेगा या उसे बढ़ा सकेगा।

अधिनियम की धारा 22 अधिकरण और अपील अधिकरण की प्रकिया और शक्तियां

अधिकरण और अपील अधिकरण्, सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रकिया से आबद्ध नहीं होंगे किंतु वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और इस अधिनियम के और किन्ही नियमों के

2004:CGHC:33

अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण् और अपील अधिकरण् को अपनी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वे स्थान है जिन पर उनकी बैंठकें होंगी विनियमन करने की शक्तियां होगी।

13/ वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने एक आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया परंतु याचिकाकर्ता द्वारा कोई विक्रय–विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं न्यायालय ने उक्त् आपत्ति पर विचार किया।

14/ दूसरी ओर प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 कि ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों का अवलंबन लिया **2001 (6) SCC 569 (पंजाब नेशनल बैंक बनाम् ओ.सी. कृष्णन् AIR 2002 SC 1479 (यूनियन ऑफ इंड़िया बनाम् दिल्ली बार एसोसियेशन), AIR 2002 SC 2873 (मेसर्स हीरा लाल एंड सन्स् बनाम् मेसर्स लक्ष्मी कमर्सियल बैंक AIR 2004 SCW 964 (मिसेज जानकी वासुदेव भोजवानी एवं अन्य बनाम् इन्डसिंड बैंक लि. एवं अन्य)**

15/ सभी तथ्यों पर विचार किया गया जो कि AIR 2004 MP (पूर्ण न्यायपीठ) के निर्णय में हुआ है **मेसर्स कोवा स्पीनींग लि. एवं अन्य बनाम् ऋण वसली अधिकरण एवं अन्य** का मामला था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16/ वाद के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय की राय में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28/08/2003 एवं 15/10/2003 के आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो (भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में)

17/ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अंत में यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को बैंक तथा वित्तीय संस्थानो से बकाया ऋण कर वसूली अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए।

18/ याचिकाकर्ता इस आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर, अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी अपील प्रस्तुत किए जाने पर, अपीलीय अधिकरण उस अपील का निर्णय उसके गुण–दोष के आधार पर विधि के अनुरुप करेगा, और इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

19/ उपर्युक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ यह याचिका निराकृत की जाती है।

सही/–

फखरुद्दीन

न्यायाधीश्

---00---

2004:CGHC:33

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By **SRIJAN SHARMA**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur